

प्रेषक,

पूनम कुमारी,
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना

पटना-15, दिनांक- 25 /02/2025

विषय :- वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2027-28 तक प्राकृतिक वन क्षेत्र के बाहर वानिकी योजनान्तर्गत पटना पार्क प्रमंडल, पटना में गंगा नदी के दक्षिणी तट पर जे०पी० गंगा पथ में सड़क किनारे दीघा गोलम्बर से गोलघर तक वृक्षारोपण कार्य हेतु कुल ₹4,15,17,765/- (चार करोड़ पन्द्रह लाख सतरह हजार सात सौ पैंसठ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं इसके तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹6.66 लाख (छः लाख छियासठ हजार रुपये) मात्र के व्यय की अनुमति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2027-28 तक प्राकृतिक वन क्षेत्र के बाहर वानिकी योजनान्तर्गत पटना पार्क प्रमंडल, पटना में गंगा नदी के दक्षिणी तट पर जे०पी० गंगा पथ में सड़क किनारे दीघा गोलम्बर से गोलघर तक वृक्षारोपण कार्य हेतु कुल ₹4,15,17,765/- (चार करोड़ पन्द्रह लाख सतरह हजार सात सौ पैंसठ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं इसके तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹6.66 लाख (छः लाख छियासठ हजार रुपये) मात्र के व्यय की अनुमति प्रदान की जाती है।

इस योजना अन्तर्गत कुल 39000 पौधे रोपित किये जायेगे। इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में अग्रिम-सह-समापन कार्य, वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2027-28 तक सम्पोषण कार्य किये जायेंगे। इस योजना का क्रियान्वयन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना के पत्रांक-197 दिनांक-24.02.2025 द्वारा सम्प्रेषित सारांशित कार्य योजना/प्राक्कलन में संशोधन करते हुए जो परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न है, के अनुरूप किया जायेगा।

2. स्वीकृत राशि की निकासी राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01-वानिकी, लघु शीर्ष-102-समाज तथा फार्म वानिकी, उप शीर्ष-0109-प्राकृतिक वन क्षेत्र के बाहर वानिकी, मांग संख्या-19, विपत्र कोड-19-2406011020109, विषय शीर्ष-0109.02.01-मजदूरी, 0109.27.01-लघु कार्य तथा 0109.21.01-सामग्री एवं पूर्तियों के अन्तर्गत उपलब्ध उपबंधित राशि के तहत की जायेगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना पार्क प्रमंडल, पटना होंगे तथा राशि की निकासी उनके संबंध कोषागार से की जायेगी।

4. इस योजना के क्रियान्वयन के समय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि मजदूरी का भुगतान श्रम संसाधन विभाग, बिहार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर पर ही हो।

5. इस राशि का आवंटन, निकासी एवं व्यय बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्त नियमावली में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

6. राशि के अग्रिम निकासी पर वित्त विभागीय पत्रांक-2221 दिनांक-15.04.2020 द्वारा शिथिलीकरण प्राप्त है, अतएव राशि के आवंटन के समय वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.1998 की कंडिका-15 को छोड़कर शेष कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

7. योजना की स्वीकृति को दर की स्वीकृति नहीं माना जाए। इस योजना की स्वीकृति प्राक्कलित दर के आधार पर दी जा रही है। संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा नियमानुसार विधिवत अनुमोदित दर के अनुरूप ही राशि का व्यय किया जायेगा।
 8. सामग्री/सेवाओं की अधिप्राप्ति बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।
 9. इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
 10. योजना क्रियान्वयन का नियमित पर्यवेक्षण प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना द्वारा किया जायेगा तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना द्वारा योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण कराया जायेगा।
 11. इस योजना अन्तर्गत क्रियान्वित योजना का दो अलग-अलग रंगीन छाया चित्र तथा स्थल जाँच प्रमाण-पत्र प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार के कार्यालय में संधारित किया जायेगा। भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन ससमय विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
 12. योजना के क्रियान्वयन में यदि किसी प्रकार की अनियमितता होती है, तो योजना को क्रियान्वित/निरीक्षण/पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करने वाले पदाधिकारियों की जवाबदेही होगी।
 13. जनसाधारण को अवगत कराये जाने एवं पारदर्शिता के निमित्त विवरणी सूचना पट्ट में प्रदर्शित किया जायेगा।
 14. संचिका संख्या-100/2025 के पृष्ठ-03/टि० पर दिनांक-25.02.2025 को प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। दिनांक-25.02.2025 को सम्पन्न विभागीय स्थायी वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव के स्वीकृति की अनुशंसा की गई है।
 15. संचिका संख्या-100/2025 के पृष्ठ-04/टि० पर दिनांक-25.02.2025 को विभागीय सचिव की स्वीकृति एवं संचिका के पृष्ठ-05/टि० पर दिनांक-25.02.2025 को प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
- अनुलग्नक - यथोक्त।**

विश्वासभाजन

ह०/-

(पूनम कुमारी)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-योजना बजट-100/2025- 914 /प०व०ज०प०, पटना-15, दिनांक- 25/02/2025

प्रतिलिपि :- (सानुलग्नक) वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/बजट शाखा (दो प्रतियों में)/आई०टी० (मैनेजर), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



(पूनम कुमारी)

सरकार के संयुक्त सचिव

जे०पी० गंगा पथ के सड़क के किनारे सौन्दर्यीकरण एवं वृक्षारोपण कार्य							
सारांश							
क्र० सं०	कार्य विवरणी	पौधों की संख्या	प्राक्कलित राशि				कुल
			2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	
1.	सड़क किनारे वृक्षारोपण का कार्य (दीघा गोलम्बर से गोलघर)	9,000	3,31,866	2,02,25,671	34,36,188	35,99,816	2,75,93,541
2.	सड़क किनारे फ्लैंक (Flank) पर वृक्षारोपण का कार्य (दीघा गोलम्बर से गोलघर)	30,000	3,33,720	79,09,000	27,74,688	29,06,816	1,39,24,224
Total :-		39,000	6,65,586	2,81,34,671	62,10,876	65,06,632	4,15,17,765

3/3/25
23/2/2025

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
पटना पार्क प्रमंडल, पटना।

Forwards
24/2/25
Conservator of Forests
Patna Circle, Patna

Technical approval is Accorded on the
Summary of the scheme of Rs 4,15,17,765/-
(Four crore fifteen lakh Seventeen thousand
seven hundred only) -

24/2/25